छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार,दिनांक 15 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 24,1948)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तथा बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री लखन लाल देवांगन, श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम,2017 (क्रमांक 21 सन् 2018) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक RULE-8/65/2026-LABOUR, दिनांक 3 जून,2026 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री लखन लाल देवांगन, श्रम मंत्री, कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 115 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक ESTB/296/2026-LABOUR, दिनांक 9 मार्च,2026 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य, इन्द्रावती टायगर रिजर्व में बाघों का शिकार किये जाने की ओर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री राजेश मूणत, सदस्य, शासकीय मुद्रणालय के प्रिंटिंग कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) ग्राम खैरा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (ii) देवरी–लोहारा मुख्य मार्ग से खेरथाबाजार मार्ग निर्माण करने,
- (iii) हड़गहन जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने,
- (iv) ग्राम हरदी से उसरीबोड़ के मध्य खरखरा नदी पर एनीकट कम रपटा निर्माण करने,
- (v) ग्राम मुढ़िया में पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन करने,

(2) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य, भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) ग्राम गुरवंडी में माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (ii) भानुप्रतापपुर में शासकीय महाविद्यालय में कन्या छात्रावास खोलने,

(3) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) ग्राम कण्डरा में माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने तथा
- (ii) ग्राम अमोरा में नाले पर पुल निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री (गृह), छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक,2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक,2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026)के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः 3

निर्धारित समय

30 मिनट (4) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (6) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (7) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर
दिनांक 14 जुलाई, 2026